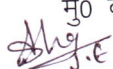


प्रारूप-5

परियोजना विवरण :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत मलेथा-ग्वाड़टोला मोटर मार्ग से सेमवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 1.500 कि०मी०)।

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण-पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर पृष्ठ सं० 12-14 पर संलग्न है।

सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर।



अधिशाली अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर।

1-8-2017 2:42 pm B mail हरा बप्प 118117

(59)

संख्या-382/111(2)/17-10(एम0एल0ए0)/2017

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 01/ अगस्त/ 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के अन्तर्गत विभिन्न 04 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय लोक निर्माण विभाग, टिहरी द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिनकी लम्बाई 15.500 किमी0 तथा कुल लागत ₹ 156.53 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 156.53 लाख (रु0 एक करोड़ छप्पन लाख तिरेपन हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् 04 कार्यों हेतु ₹ 0.40 लाख (रु0 चालीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका सनायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूलस-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22 लेखाशीर्षक-6054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-04-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 बृहत निर्माण कार्य में विभागीय अय-व्ययक में प्राविधानित तथा निर्वर्तन पर रखी धनराशि से किया जायेगा।

P.C. [Signature]
सहायक अभियन्ता
कम्पाईड्स को
देवर-मु. कोतिन

डाकरी नम्बर... 1666
फाइल नं... 1.11
दिनांक... 16/08/17

-2-

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण वायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2018 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत नद में निर्वर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-279/XXVII/(2)/2017 दिनांक 28 जुलाई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस०एस० टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या-382/11(2)/17-10(एम०एल०ए०)/2017 तद्विनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी गढ़वाल।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आठवाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी।
9. अधिशासी अभियन्ता, अ०ख०, लोक निर्माण विभाग, कीर्तिनगर।
10. गार्ड फाईल।

P. C. A. H. 17

सहायक अभियन्ता
अ०ख०, मा०, नि. वि.
कीर्तिनगर-8^{वाँ} कोषाधिकारी टि० व०

कार्यालय

मुख्य अभियन्ता (टिहरी-क्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव

पृ० सं०-1206/159 आता-रि०/17 दि०-04/8/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) अधीक्षण अभियन्ता 8^{वाँ} वृत्त कोषाधिकारी नई टिहरी।

(2) अधिशासी अभियन्ता अ०ख०, मा०, नि. वि. कीर्तिनगर।

संलग्न 1 यथोपरि

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (टिहरी-क्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी

डाकरी संख्या... 1666
का.इ.न. 1.7.12
दिनांक... 16/07/12

-2-

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण वायित्व संबंधित अधिशाली अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अनुवृत्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2018 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत नद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-279/XXVII/(2)/2017 दिनांक 28 जुलाई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस०एस० टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या-382/11(2)/17-10(एम०एल०ए०)/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी गढ़वाल।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आठवाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी।
9. अधिशाली अभियन्ता, अ०ख०, लोक निर्माण विभाग, कीर्तिनगर।
10. गार्ड फाईल।

P. C. Attester

सहायक अभियन्ता
अशासकीय कार्य विभाग
कीर्तिनगर-80 काठिनगर टि० अ०

कार्यालय

मुख्य अभियन्ता (टिहरी-क्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी

आज्ञा से,

(जीवन् सिंह)
उप सचिव

सं० 1206/159 आता - 12/17 डि० 04/8/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) अधीक्षण अभियन्ता 8वाँ वृत्त लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी।

(2) अधिशाली अभियन्ता अ०ख०, लोक निर्माण विभाग, कीर्तिनगर।

संलग्न 1 यथोपरि

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय मुख्य अभियन्ता (टिहरी-क्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी

शासनादेश संख्या- 374/111(2)/17-10(एनओएनओए)/2017 दिनांक 27/04/2017 का संलग्नक

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	विभागीय टोपोग्राफी द्वारा अनुमोदित लागत	(धनराशि लाख ₹ में) चालू वित्तीय वर्ष में अनुमोदित की जा रही धनराशि।
1	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के विकासखण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत मुसनेश्वरी मंदिर से चाका पिछवाड़ा से नौली होते हुए नगर तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	104.00	0.10
2	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के विकासखण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत डाण्डा मैसकोट मोटर मार्ग का सिंदूली डोब होते हुए ललूडीखाल-उनाना मोटर मार्ग तक विस्तार का कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	17.55	0.10
3	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत खोला धार पंथाकोटी मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से स्वालसौड़ पनवाली होते हुए बगदोलीखाल नैलचानी तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	6.00	26.94	0.10
4	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत मलेशा रवाड़ टोला मोटर मार्ग से सेमवाल गाँव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1.500	8.04	0.10
कुल		15.50	156.53	0.40

(कुल ₹ चालीस हजार मात्र)

P.C. Attor

सहायक प्रमुख
जनपद टिहरी गढ़वाल
कीर्तिनगर-मैसकोट-नैलचानी-ललूडीखाल-उनाना-देवप्रयाग

(जीवन सिंह)
उप सचिव